

सं0सं0-6/एन-08-30/2016 -1069(6)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा0 आर0डी0 रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
मदर टरेसा नर्सिंग स्कूल,
पकड़ी रोड, आरा।

पटना, दिनांक: 10/11/2016



विषय: मदर टरेसा नर्सिंग स्कूल, पकड़ी रोड, आरा की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक- 719(6), दिनांक-16.09.2011 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-15.09.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन


(डा0 आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।


सं0सं0-6/एन-08-30/2016 - 1068(6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा0 आर0डी0 रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
शेरशाह मेडिकल रिसर्च एण्ड नर्सिंग
ट्रेनिंग संस्थान (ए0एन0एम0) स्कूल,
तकिया, सासाराम (रोहतास)

पटना, दिनांक: 10 / 11 / 2016

विषय: शेरशाह मेडिकल रिसर्च एण्ड नर्सिंग ट्रेनिंग संस्थान (ए0एन0एम0) स्कूल,
तकिया, सासाराम (रोहतास) की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक- 223(6), दिनांक-19.03.2010 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु तीन वर्षों की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी
जो दिनांक-18.03.2013 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन


(डा0 आर0डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।



सं०सं०-6/एन-08-30/2016 - 1067(6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा० आर०डी० रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
स्वामी विवेकानन्द नर्सिंग स्कूल,
सिमुलतल्ला, जमुई।

पटना, दिनांक: 10/11/2016


विषय: स्वामी विवेकानन्द नर्सिंग स्कूल (ए०एन०एम०), सिमुलतल्ला, जमुई की अवधि
विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक- 71(6), दिनांक-09.02.2010 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए०एन०एम० पाठ्यक्रम संचालन हेतु दो वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-08.02.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन


(डा० आर०डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।



सं०सं०-6/एन-08-30/2016 - 1066(6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा० आर०डी० रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
श्री श्यामलाल चन्द्रशेखर ए०एन०एम० नर्सिंग स्कूल,
परमानन्दपुर, खगड़िया।

पटना, दिनांक: 10/11/2016

विषय: श्री श्यामलाल चन्द्रशेखर ए०एन०एम० नर्सिंग स्कूल, परमानन्दपुर, खगड़िया
की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक- 280(6), दिनांक-09.04.2010 एवं संशोधित आदेश ज्ञापांक-784(6), दिनांक-06.09.
2010 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत ए०एन०एम० पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक
वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो दिनांक-05.09.2011 को कालातीत हो
चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार (Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन



(डा० आर०डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।



सं०सं०-6/एन-08-30/2016 - 1065 (6)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा० आर०डी० रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
हिरावती ए०एन०एम० नर्सिंग स्कूल,
बाग दुल्हन हाजीपुर, वैशाली।

पटना, दिनांक: 10/11/2016



विषय: हिरावती ए०एन०एम० नर्सिंग स्कूल, बाग दुल्हन हाजीपुर, वैशाली की अवधि
विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक- 743(6), दिनांक-23.08.2010 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए०एन०एम० पाठ्यक्रम संचालन हेतु दो वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-22.08.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन


(डा० आर०डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।


सं0सं0-6/एन-08-30/2016 - 1064(6)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा0 आर0डी0 रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
मदर टरेसा नर्सिंग स्कूल,
मोगरा फाटक, अपोजिट मलेटरी कैम्प,
दलान, कटिहार।

विषय:


पटना, दिनांक: 10/11/2016
मदर टरेसा नर्सिंग स्कूल, मोगरा फाटक, अपोजिट मलेटरी कैम्प, दलान,
कटिहार की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक- 747(6), दिनांक-26.09.2011 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-25.09.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन


(डा0 आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।



सं०सं०-6/एन-08-30/2016 - 1063 (6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा० आर०डी० रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
मनोरमा देवी सिकरिया ए०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल,
राधा नगर, नकछेद टोला मोतिहारी।

पटना, दिनांक: 10 / 11 / 2016


विषय: मनोरमा देवी सिकरिया ए०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल, राधा नगर, नकछेद टोला
मोतिहारी की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक- 796(6), दिनांक-18.10.2011 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए०एन०एम० पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-17.10.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन


(डा० आर०डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।



सं0सं0-6/एन-08-30/2016 - 1061(6)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा0 आर0डी0 रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
किंगवे टेक्निकल इन्स्टीच्यूट कॉलेज ऑफ
नर्सिंग, जीटी रोड, कुल्हड़िया,
पो0-कर्मनाशा, कैमुर।

पटना, दिनांक: 10 / 11 / 2016

विषय: किंगवे टेक्निकल इन्स्टीच्यूट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जीटी रोड, कुल्हड़िया,
पो0-कर्मनाशा, कैमुर की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक- 430(6), दिनांक-27.05.2011 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-26.05.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन



(डा0 आर0डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।



सं0सं0-6/एन-08-30/2016 - 1062 (6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा0 आर0डी0 रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
शुभवन्ति इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन,
रामदेव नगर, थाना महादेवा, सिवान।

पटना, दिनांक: 10/11/2016

विषय: शुभवन्ति इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, रामदेव नगर, थाना-महादेवा, सिवान
की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक- 706(6), दिनांक-07.09.2011 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-06.09.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन



(डा0 आर0डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।



सं0सं0-6/एन-08-30/2016 - 1059(6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा0 आर0डी0 रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
धानो देवी ए0एन0एम0 नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल,
बैरागीबाग, जहानाबाद।

पटना, दिनांक: 10 / 11 / 2016

विषय: धानो देवी ए0एन0एम0 नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, बैरागीबाग, जहानाबाद की अवधि
विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक-606(6), दिनांक-22.07.2011 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-21.07.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन



(डा0 आर0डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।



सं०सं०-6/एन-08-30/2016 - 1058(6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा० आर०डी० रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
बुद्धा इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन,
ए०एन०एम० प्रशिक्षण स्कूल, गया।

पटना, दिनांक: 10 / 11 / 2016

विषय: बुद्धा इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ए०एन०एम० प्रशिक्षण स्कूल, गया की
अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक-741(6), दिनांक-23.08.2010 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए०एन०एम० पाठ्यक्रम संचालन हेतु दो वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-22.08.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन



(डा० आर०डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।



सं०सं०-6/एन-08-30/2016 -1057(6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा० आर०डी० रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग,
सैदनगर, पेट्रोल पम्प इनसाईड ऑफ
विश्वकर्मा मंदिर लहेरियासराय, दरभंगा।

पटना, दिनांक: 10 / 11 / 2016



विषय: ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैदनगर, पेट्रोल पम्प इनसाईड ऑफ
विश्वकर्मा मंदिर लहेरियासराय, दरभंगा की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक-760(6), दिनांक-30.08.2010 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए०एन०एम० पाठ्यक्रम संचालन हेतु दो वर्षों की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-29.08.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन


(डा० आर०डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।


सं०सं०-6/एन-08-30/2016-105666

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा० आर०डी० रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
आर०बी०मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग
बेनटा रोड, लहेरियासराय, दरभंगा।

पटना, दिनांक: 10 / 11 / 2016

विषय: आर०बी०मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग बेनटा रोड, लहेरियासराय, दरभंगा की
अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक-433(6), दिनांक-30.05.2011 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए०एन०एम० पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-29.05.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन



(डा० आर०डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।



सं०सं०-6/एन-08-30/2016 - 1055(6)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा० आर०डी० रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
ए०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल,
डा० एस०एम० नक्की इमाम डेन्टल
कॉलेज एवं अस्पताल, बहेड़ा, दरभंगा।

पटना, दिनांक: 10/11/2016

विषय: ए०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल, डा० एस०एम० नक्की इमाम डेन्टल कॉलेज एवं
अस्पताल, बहेड़ा, दरभंगा की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक-714(6), दिनांक-09.09.2011 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए०एन०एम० पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-08.09.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन



(डा० आर०डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।



सं०सं०-6/एन-08-30/2016 - 1054(6)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा० आर०डी० रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
मिनर्वा स्कूल ऑफ नर्सिंग,
ए०एन०एम० टेनिंग स्कूल,
कल्पतरु भवन, अल्लपट्टी दरभंगा।

पटना, दिनांक: 10 / 11 / 2016


विषय: मिनर्वा स्कूल ऑफ नर्सिंग, ए०एन०एम० टेनिंग स्कूल, कल्पतरु भवन,
अल्लपट्टी दरभंगा की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक-702(6), दिनांक-05.09.2011 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत ए०एन०एम० पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो दिनांक-04.09.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार (Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन


(डा० आर०डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।



सं0सं0-6/एन-08-30/2016 - 1053 (6)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा0 आर0डी0 रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
नैना नर्सिंग ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट,
मधौल, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक: 10/11/2016


विषय: नैना नर्सिंग ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट, मधौल, मुजफ्फरपुर की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक-758(6), दिनांक-30.08.2010 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु दो वर्षों की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो दिनांक-29.08.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार (Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन


(डा0 आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।



सं०सं०-6/एन-08-30/2016 - 1052(6)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा० आर०डी० रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
माता वैष्णवी ए०एन०एम० ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट,
नियर पुलिस लाईन, दरभंगा रोड,
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक: 10 / 11 / 2016


विषय: माता वैष्णवी ए०एन०एम० ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट, नियर पुलिस लाईन, दरभंगा रोड,
मुजफ्फरपुर की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक-636(6), दिनांक-02.08.2011 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत ए०एन०एम० पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो दिनांक-01.08.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार (Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन


(डा० आर०डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।



सं०सं०-6/एन-08-30/2016 - 1051(6)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा० आर०डी० रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
साधुशरण सिंह इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ
एजुकेशन, श्रीगणेश दत्त नगर,
भगवानपुर, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक: 10/11/2016

विषय: साधुशरण सिंह इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, श्रीगणेश दत्त नगर, भगवानपुर,
मुजफ्फरपुर की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक-707(6), दिनांक-07.09.2011 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए०एन०एम० पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-06.09.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन


(डा० आर०डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।



सं0सं0-6/एन-08-30/2016 - 1050(6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा0 आर0डी0 रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
नालन्दा नर्सिंग स्कूल,
गढ़पर बिहारशरीफ नालन्दा।

पटना, दिनांक: 10/11/2016

विषय: नालन्दा नर्सिंग स्कूल, गढ़पर बिहारशरीफ नालन्दा की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक-732(6), दिनांक-19.08.2010 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु दो वर्षों की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो दिनांक-18.08.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार (Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

(डा0 आर0डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।

सं0सं0-6/एन-08-30/2016 - 1047(6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा0 आर0डी0 रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
बुद्धा इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन,
ए0एन0एम0 ट्रेनिंग स्कूल, बेलदार बिगहा,
गोरौर, छबिलापुर, राजगीर, नालन्दा।

पटना, दिनांक: 10/11/2016

विषय: बुद्धा इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ए0एन0एम0 ट्रेनिंग स्कूल, बेलदार बिगहा,
गोरौर, छबिलापुर, राजगीर, नालन्दा की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक-759(6), दिनांक-30.08.2010 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत ए0एन0एम0
पाठ्यक्रम संचालन हेतु दो वर्षों की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो दिनांक-29.08.
2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार (Extension) प्राप्त
नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जाए।
यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि इस
संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त करने
संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

(डा0 आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।

सं0सं0-6/एन-08-30/2016 - 1048 (6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा0 आर0डी0 रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
मदर टरेसा स्कूल ऑफ नर्सिंग, सेकेण्ड फ्लोर ,
ममता हास्पिटल, कोसी तकिया, रांची रोड,
बिहार शरीफ नालन्दा।

पटना, दिनांक: 10/11/2016

विषय: मदर टरेसा स्कूल ऑफ नर्सिंग, सेकेण्ड फ्लोर , ममता हास्पिटल, कोसी तकिया,
रांची रोड, बिहार शरीफ नालन्दा की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक-755(6), दिनांक-26.08.2010 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु दो वर्षों की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-25.08.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

(डा0 आर0डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।

सं0सं0-6/एन-08-30/2016 - 1047(6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा0 आर0डी0 रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
पाटलिपुत्रा ए0एन0एम0 नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल,
खेमनीचक, सुभाषनगर, पटना।

पटना, दिनांक: 10/11/2016

विषय: पाटलिपुत्रा ए0एन0एम0 नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल, खेमनीचक, सुभाषनगर, पटना की
अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक-665(6), दिनांक-02.08.2010 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु दो वर्षों की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-01.08.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

(डा0 आर0डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।

सं0सं0-6/एन-08-30/2016 - 1046(6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा0 आर0डी0 रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
पटना ए0एन0एम0 ट्रेनिंग स्कूल,
ब्रह्मपुर, न्यू जगन्पुरा, पटना।

पटना, दिनांक: 10 / 11 / 2016

विषय: पटना ए0एन0एम0 ट्रेनिंग स्कूल, ब्रह्मपुर, न्यू जगन्पुरा, पटना की अवधि विस्तार
के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक-748(6), दिनांक-26.09.2011 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-25.09.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

(डा0 आर0डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।



सं०सं०-6/एन-08-30/2016 - 1045 (6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा० आर०डी० रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
महावीर पारामेडिकल ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च
इन्स्टीच्यूट (ए०एन०एम० नर्सिंग सेंटर),
एल०सी०टी० घाट, पटना।

पटना, दिनांक: 10/11/2016

विषय: महावीर पारामेडिकल ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीच्यूट (ए०एन०एम० नर्सिंग सेंटर)
एल०सी०टी० घाट, पटना की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक-594(6), दिनांक-20.07.2011 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए०एन०एम० पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-19.07.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

(डा० आर०डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।

सं0सं0-6/एन-08-30/2016 - 1044(6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा0 आर0डी0 रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
गौतम इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पारामेडिक्स,
कागजी मोहल्ला बिहारशरीफ, नालन्दा।

पटना, दिनांक: 10/11/2016

विषय: गौतम इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पारामेडिक्स, कागजी मोहल्ला बिहारशरीफ,
नालन्दा की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक-754(6), दिनांक-27.09.2011 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-26.09.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

(डा0 आर0डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।

सं०सं०-6/एन-08-30/2016 - 1043 (6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा० आर०डी० रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
कृष्णा इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग साईसेज,
आदर्श कॉलोनी, पटेल नगर, पटना।

पटना, दिनांक: 10 / 11 / 2016

विषय: कृष्णा इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग साईसेज, आदर्श कॉलोनी, पटेल नगर, पटना की
अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक-749(6), दिनांक-26.09.2011 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए०एन०एम० पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-25.09.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

(डा० आर०डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।

सं०सं०-6/एन-08-30/2016 - 1042 (6)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा० आर०डी० रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
डा० मिश्रा इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग,
मिश्रा कैम्पस आरा रोड, बिहटा, पटना।

पटना, दिनांक: 10/11/2016

विषय: डा० मिश्रा इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, मिश्रा कैम्पस आरा रोड, बिहटा, पटना की
अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक-762(6), दिनांक-31.08.2010 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए०एन०एम० पाठ्यक्रम संचालन हेतु दो वर्षों की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-30.08.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन



(डा० आर०डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।



सं०सं०-6/एन-08-30/2016-10411(6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा० आर०डी० रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
कृष्णा इन्स्टीच्यूट ऑफ पारामेडिकल एण्ड
पारा डेन्टल साईसेज, जागृति नगर,
मजीस्टेट कॉलोनी, मेन रोड, असियानानगर, पटना।

पटना, दिनांक: 10/11/2016

विषय: कृष्णा इन्स्टीच्यूट ऑफ पारामेडिकल एण्ड पारा डेन्टल साईसेज, जागृति नगर,
मजीस्टेट कॉलोनी, मेन रोड, असियानानगर, पटना की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक-564(6), दिनांक-12.07.2011 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत ए०एन०एम०
पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो दिनांक-11.07.
2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार (Extension) प्राप्त
नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जाए।
यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि इस
संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त करने
संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन


(डा० आर०डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।



सं0सं0-6/एन-08-30/2016 - 1040 (6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा0 आर0डी0 रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
अम्बेदकर इन्स्टीच्यूट ऑफ हायर एडुकेशन,
नासरीगंज, दानापुर, पटना।

पटना, दिनांक: 10/11/2016

विषय: अम्बेदकर इन्स्टीच्यूट ऑफ हायर एडुकेशन, नासरीगंज, दानापुर, पटना की
अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक-458(6), दिनांक-17.06.2010 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-16.06.2011 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

Received
13/11/16

(डा0 आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।

सं0सं0-6/एन-08-30/2016 - 1039(6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा0 आर0डी0 रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
पाटलिपुत्रा इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग ट्रेनिंग,
जगदेव पथ, नियर, अम्बेदर पथ, बेली रोड, पटना।

पटना, दिनांक: 10/11/2016

विषय: पाटलिपुत्रा इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग ट्रेनिंग, जगदेव पथ, नियर, अम्बेदर पथ,
बेली रोड, पटना की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक-757(6), दिनांक-30.08.2010 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु दो वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-29.08.2012 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

(डा0 आर0डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।

सं०सं०-6/एन-08-30/2016 - 1038(6)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा० आर०डी० रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
इण्डो हिरोशिमा इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग,
सगुना मोड, दानापुर, पटना।

पटना, दिनांक: 10 / 11 / 2016

विषय: इण्डो हिरोशिमा इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, सगुना मोड, दानापुर, पटना की अवधि
विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक-183(6), दिनांक-11.03.2010 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए०एन०एम० पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक सत्र की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-10.03.2011 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन



(डा० आर०डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।



सं०सं०-6/एन-08-30/2016- 1037 (6)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा० आर०डी० रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
रामप्रताप इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग साईंसेज,
रुकनपुरा, बेली रोड, पटना।

पटना, दिनांक: 10/11/2016


विषय: रामप्रताप इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग साईंसेज, रुकनपुरा, बेली रोड, पटना की
अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक-64(6), दिनांक 06.02.2012 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत ए०एन०एम०
पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक सत्र की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक-05.02.2013 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन


(डा० आर०डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।



सं0सं0-6/एन-08-30/2016 - 1036(6)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डा0 आर0डी0 रंजन
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
रामकृष्णा वेलफेयर ए0एन0एम0 ट्रेनिंग स्कूल,
साउथ चित्रगुप्त नगर कंकडबाग, पटना।

पटना, दिनांक: 10 / 11 / 2016

विषय: रामकृष्णा वेलफेयर ए0एन0एम0 ट्रेनिंग स्कूल, साउथ चित्रगुप्त नगर कंकडबाग,
पटना की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय आदेश
ज्ञापांक-737(6), दिनांक 20.08.2010 के माध्यम से विषयांकित विद्यालय के अन्तर्गत
ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गई थी जो
दिनांक 19.08.2011 को कालातीत हो चुका है और आपके द्वारा मान्यता अवधि में विस्तार
(Extension) प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी
जाए। यदि निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा
कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

(डा0 आर0डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना।